

पत्रांक : 10/न4- 26/08.....472

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक :

अनील कुमार
सरकार के उप सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली-110092 ।

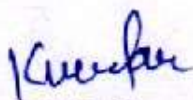
पटना, दिनांक 30.6.09.

विषय : दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, एन.एच 31, महमदपुर, नवीन जेल गेट के ठीक सामने, बेगूसराय को CBSE नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा विभागीय सभिति द्वारा दिनांक 25.06.2009 की बैठक में दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, एन.एच 31, महमदपुर, नवीन जेल गेट के ठीक सामने, बेगूसराय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गई है। समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है :-

1. विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल ट्रस्ट सोसाइटी के अधिन संचालित है। इस सोसाइटी/ट्रस्ट में किसी एक सदस्य व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेंचाइजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नाम का उपयोग नहीं करने का दावा शपथ पत्र भी दिया गया है।
3. विद्यालय को सोसाइटी के द्वारा 3 एकड़ 63 डी० 99 वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराई गई है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय



TRUSTEE

Delhi Public School Trust, Delhi
Reg. No.-18294/05

ATTESTED

PRINCIPAL

D.P.S. SCHOOL

Affiliated to CBSE Delhi upto 10+2 Level

Affn. No:-330252, School Code-65246

Delhi Public School Trust, Delhi

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना हो कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक अनुरूप हैं।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने का दावा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई है या नहीं स्पष्ट नहीं है। विद्यालय में शिक्षक हैं। सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से विद्यालय सूचना पट से छात्रों को सूचना देकर अभिभावकों को सूचना देकर की जाती है। विद्यालय में अभिभावक गोष्ठी आयोजित की जाती है। विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकवक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रति वर्ष सार्वजनिक किया जाता है।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उनसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.06 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं। अपेक्षित शर्तों के अनुसार:-

(क) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- (साठ हजार रुपये) प्रतिवर्ष होगी।

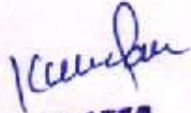
(ख) विद्यालय में नर्सरी/के०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(ग) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(घ) जिल बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

ATTESTED


TRUSTEE
Delhi Public School Trust, Delhi
Reg. No.-18294/05


PRINCIPAL
D.P.S. SCHOOL
Affiliated to CBSE Delhi upto 10+2 Level
Affn. No:-330252, School Code-65246
Mahmadpur, Begusara-851129

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर दिल्ली पब्लिक सेकेण्डरी स्कूल, एन.एच 31, महमदपुर, नवीन जेल गेट के ठीक सामने, बेगूसराय इस शर्त के साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाती है कि विद्यालय सभी अभिलेखों में परिवर्तित नाम का उपयोग करेंगे।

अनुलग्नक:- जिला शिक्षा पदा०, बेगूसराय
से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन,

(अनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 472 /

पटना, दिनांक 30.6.09 /

प्रतिलिपि : प्राचार्य, दिल्ली पब्लिक सेकेण्डरी स्कूल, एन.एच 31, महमदपुर, नवीन जेल गेट के ठीक सामने, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 472 /

पटना, दिनांक 30.6.09 /

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय को उनके पत्रांक 1340, दिनांक 03.06.09 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ATTESTED

(अनील कुमार)

सरकार के उप सचिव


TRUSTEE
Delhi Public School Trust, Delhi
Reg. No: 18284/05


PRINCIPAL
D.P.S. SCHOOL
Affiliated to CBSE Delhi upto 10+2 Level
Affn. No: 330252, School Code-65246
Mahamedpur, Begusarai-851129